

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ओलखकाण्डा, नैनीताल

मैनुअल -05

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग उत्तरांचल के अन्तर्गत संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण के कृत्यों के निर्वन्ह के लिए निम्न निर्देशों / अधिनियमों का अनुपालन किया जाता है :-

1. शिल्पकार प्रशिक्षण :- इस योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान टाण्डी भी स्थापित है । इस संस्थान में प्रवेश , प्रशिक्षण व्यवस्था , संबंधन ,अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, कर्मचारियों/अधिकारियों के कृत्य , भारत सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद द्वारा ट्रेनिंग मैनुवल के अनुरूप किया जाता है ।
2. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं विभागीय कर्मचारियों के प्रशासकीय व्यवस्था हेतु शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय नियम खण्ड-2 भाग- 2 से 4 , शासनादेश संग्रह का अनुपालन किया जाता है ।
3. वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह भाग-5 खण्ड-एक , भविष्य निधि , यात्रा भत्ता नियमावली का पालन किया जाता है ।
4. कर्मचारियों की सेवा संबंधी प्रकरणों के लिए राज्य प्रशिक्षण सेवा नियमावली, अनुदेशक नियमावली समूह "ग" भर्ती नियमावली का पालन किया जाता है ।